न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2015 G.C.M.S. No. 2015/00226 दर्ज दिनांक : 21.08.2015

अपीलार्थिगण:

1. हुकमसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जी
2. नारायणसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जी
3. मानसिह पुत्र श्री बाघसिंह जी
4. कुन्दनसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जी जातिगण राजपुत निवासीगण, पाचवा कला तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. गजरो कंवर बेवा गंगासिंह लाऔलाद फौत
2. सोहनसिह पुत्र मोहनसिंह
3. तेजसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. मदनसिंह पुत्र किशोरसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र किशोर सिंह
6. मोहन कवर बेवा किशोर सिंह
   - 6/1 तेजसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह, (रेस्पोडेण्ट संख्या 3)
   - 6/2 मदनसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह, (रेस्पोडेण्ट संख्या 4)
   - 6/3 नारायणसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह, (रेस्पोडेण्ट संख्या 5)
   - 6/4 अंतर कंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी प्रेमसिंहजी जाति, राजपूत, निवासी रणसी गांव, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर
   - 6/5 संतोष कंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी मांगूसिंह जाति राजपूत, निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
7. अमरसिंह पुत्र भैरूसिंह लाऔलाद फौत तमाम कौम राजपुत निवासीगण पांचवा कला, तहसील सोज़त जिला पाली
8. सुआ बेवा जसाराम फौत जिसके वैधिक वारीसान–
   - 8/क– पिश्ता पुत्री सुआ पत्नी जगदीश दास जाति साद निवासी गुजरावास हाल पाचवा खुर्द तहसील सोजत जिला पाली
   - 8/ख. पतासी पुत्री सुआ पत्नी मोहनदास जाति साद निवासी गागोड़ा तहसील सोजत जिला पाली
9. रणछोड़दास पुत्र चिमनाराम
10. विशनदास पुत्र चिमनाराम
11. भुरदास पुत्र चिमनाराम
12. विद्या बेवा चिमनाराम
    - 12/1 रणछोड़दास पुत्र चिमनाराम (रेस्पोडेण्ट सं. 9)
    - 12/2 भूरदास पुत्र चिमनाराम, (रेस्पोडेण्ट सं. 11)
    - 12/3 विशनदास पुत्र चिमनाराम, निवासीगण पांचवा कला, तहसील सोजत जिला पाली। (रेस्पोडेण्ट स. 10)
    - 12/4 मांगी देवी पुत्री चिमनाराम, पत्नी मूलदास, जाति साद, निवासी अबकाई ढाणी, तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

12/5 मीरा देवी पुत्री चिमनाराम, पत्नी देवीदासजी, जाति साद, निवासी मौर्या, तहसील रोहट जिला पाली।

12/6 सुखिया देवी पुत्री चिमनाराम पत्नी सम्पतदास, निवासी ग्राम चोटिला, तहसील रोहट जिला पाली।

12/7 सेणी देवी पुत्री चिमनाराम, पत्नी पप्पुदासजी, निवासी नया गांव, तहसील सोजत जिला पाली।

13. गणीया पुत्र हरीराम

14. संतोष पुत्र हरीराम

15. कन्या पुत्र हरीराम फौत के वेधिक वारिशान–

15/क. भीकी बेवा कन्या

15/ख. किशनदास पुत्र कन्या

15/ग. केली बेवा हरीराम फौत विलोपित के विधिक वारिशान

15ग/1 कन्हैयालाल पुत्र केली फौत के विधिक वारिशान
(रेस्पोडेण्ट संख्या 15)

15/ग/1/1 भीकी बेवा कन्हैयालाल,
(रेस्पोडेण्ट संख्या 15क)

15/ग/1/2 किशनदास पुत्र कन्हैयालाल, निवासी पांचवाकंला, तहसील सोजत जिला पाली
(रेस्पोडेण्ट संख्या 15ख)

15ग/2 उषीया पुत्री हरिराम पत्नी पूनमदास, निवासी गांव लूणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

15ग/3 गणीया पुत्र केली बेवा हरिराम, (रेस्पोडेण्ट संख्या 13)

15ग/4 संतोष पुत्र केली बेवा हरिराम, निवासी पांचवाकंला, तहसील सोजत जिला पाली (रेस्पोडेण्ट संख्या 14)

16. पोकरदास पुत्र मंगलदास तमाम जातिगण साद निवासीगण पांचवा कला, तहसील सोजत जिला पाली

17. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2011 बअनवान हुकमसिंह बनाम गजरो वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मदनदास वैष्णव, श्री विक्रमसिंह चारण, श्री भवानीसिंह जैतावत, श्री गजेन्द्र मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 25.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2011 बअनवान हुकमसिंह बनाम गजरो वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने वाद खातेदारी की उद्‌घोषणा एवं भूमि बंटवाड़ा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पांचवा कलां के खसरा नम्बर 495, 507, 512 व 513 की कृषि भूमि आई हुई हैं। जिसमें रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 से 16 का 1/2 हिस्सा खातेदारी के तौर पर दर्ज है लेकिन मौके पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है और रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 से 16 का राजस्व रेकर्ड मे 1/2 हिस्सा जरूर दर्ज है, लेकिन मौके पर केवल 1/4 हिस्से पर ही काबिज है व इनके 1/2 हिस्से की आध में अर्थात 1/4 हिस्से पर अपीलांट वक्त जागीरी से काबिज रहे हैं। जिस संबंध में खसरा गिरदावरी में भैरूसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जी जो अपीलांट के बड़े पिताजी थें, उनकी काश्त दर्ज है। भैरूसिंह जी लाऔलाद फौत हो गये। उन्होंने अपने जीवन काल में अपीलांट के पक्ष में जो इनकी खातेदारी थीं, उसको वसीयत की हैं। खसरा नम्बर 507, 513, 511 व 510 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 के कब्जे काश्त में हैं तथा खसरा नम्बर 512, 508, 509 रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 से 16 पर काबिज है एवं खेती कर रहे हैं तथा खसरा नम्बर 495 व 495 अपीलांट के कब्जे काश्त में हैं। इस तरह भौतिक रूप से मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है तथा मौके पर बंट अनुसार दावे के साथ एक नजरी नक्शा दर्शाया है। जिसमें लाल रंग से जो भूमि दर्शाई हैं, वह रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 7 की हैं, हरे रंग से दर्शित भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 8 से 16 की है ओर पीले रंग की भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में हैं। इसी माफिक खातेदारी की उद्‌घोषणा व भूमि बंटवाड़े की डिक्री अपीलांट ने चाही जिस पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता देवेन्द्र व्यास उपस्थित आये व वादी के दावे की ताईद करते हुये जवाबदावा तारीख 24.08.2011 को पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से 16 की ओर से कोई जवाबदावा पेश नही हुआ व उनके विरूद्ध अदालत हाजा ने उपस्थिति इनके द्वारा नहीं देने के कारण तारीख 24.08.2011 को एक तरफा आदेश दिया ओर पत्रावली वास्ते तनकीयात एवं साक्ष्य वादी रखी गई। तारीख 27.01.2014 को तनकीयात कायम कर वास्ते साक्ष्य वादी तारीख 07.04.2014 को पेश हुये व अपना शपथ पत्र पेश किया। वादी के गवाह के बयानात कलमबद्ध किये गये तथा तारीख 10.12.2014 को रेस्पोंडेन्ट को न्यायालय में उपस्थिति हेतु बार बार आवाजे दिलाई गये लेकिन उपस्थित नहीं आये इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं तथा अपीलांट ने उसी रोज अपनी शहादत बंद की ओर इस तरह पेशी इल्तवा 5 बार न्यायालय ने आगे दी ओर तारीख 10.06.2015 को पत्रावली केम्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कोर्ट झीतड़ा में पेश ही नहीं हुई और न ही उसके अधिवक्ता उपस्थित आये फिर भी अपीलांट के वकील की उपस्थिति दर्ज कर तथा रेस्पोंडेन्ट की गैर हाजरी दर्ज करते हुये अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जबकि अपीलांट अपनी साक्ष्य में गवाह जब्बरसिंह, हुकमसिंह, नारायणसिंह, सोहनसिंह, मदनसिंह, तेजसिंह, मोहब्बतसिंह, वनेसिंह व अखाराम को अपने दावे की पुष्टि में साक्ष्य करवाई। रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई जिरह नहीं हुई और मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से 10 करवाये लेकिन इन पर अपना बिना कोई विवेचन दिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधिन निर्णय डिक्री दी हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलांट का दावा खारिज किया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान कराने का निवेदन किया है लेकिन विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निर्णयों में खातेदारी अधिकार प्रदान करने का आधार नहीं माना है साथ ही यह भी लिखा है कि कोई दस्तावेज ऐसा पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि कानूनन वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्सा निहित है और कहते हुये दावा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट ने अपनी ठोस मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित किया है कि अपीलांट वक्त जागीरी से काबिज काश्तकार है। समर्थन में गिरदावरी जब–जब भी दर्ज हुई है जो दस्तावेज पेश किये हैं। इसलिये मौखिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य समर्थन करता है तो यह नहीं कह सकते कि अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त नहीं हो और जिस व्यक्ति ने कब्जे को कभी चुनौती नहीं दी, ऐसे व्यक्ति के हक अधिकार टिनेन्सी प्रावधानों के तहत अवशानित हो जाते है और जिन खातेदारों के विरूद्ध अपीलांट का कब्जा काश्त है वहां उनके हक अधिकार स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसाकि टिनेन्सी अधिनियम में प्रावधान है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदारी दी, न ही भूमि का खातेदार मानते हुये बंटवाड़े की डिक्री दी और न ही रेस्पोंडेन्ट को इस बात के लिये पाबन्द किया कि वो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलांट को पाबन्द नहीं करें ऐसा ही कोई अनुतोष ही दिया इसलिये ऐसी अपीलाधिन डिक्री प्रथम दृष्टया अवैध एवं न्याय के दृष्टिकोण से गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादिया द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 21.08.2015 को 11 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा अपीलांट की लापरवाही से विलंब कारित होना साबित नहीं हैं। लिहाजा, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जेकाश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक कायम किए गए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा साक्ष्य वादी पूर्ण की जाकर बंद की गई एवं पत्रावली बहस हेतु नियत की गई एवं दिनांक 10.06.2015 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः प्रक्रियात्मक स्तर पर कोई भूल नहीं की गई हैं।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 4 विवाद्यक कायम किए गए। जिनमें से विवाद्यक संख्या 1 सारवान व आधारभूत विवाद्यक है। जो वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को 1/4 हिस्से के खातेदार घोषित किए जाने से संबंधित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया है। जिसके विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा मुख्य रूप से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का निवेदन करने विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निर्णयों में खातेदारी अधिकार एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रदान नहीं किया जाना निर्णित होने के आधार पर उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया। हमारे विनम्र मत में यह निर्विवाद है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में महज कब्जेकाश्त या प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं हैं। वादपत्र के अवलोकन मात्र से भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा कब्जेकाश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अतः ऐसी स्थिति में जो अपीलांट वादीगण कानूनन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, अतः विद्वान

राजस्व अपील प्राधिकारी

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादीगण अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनन कोई भूल नहीं की हैं। चूंकि अन्य विवाद्यक वादग्रस्त आराजीयात में घोषणा उपरांत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है, जो विवाद्यक संख्या 1 पर सारवान रूप से आधारित है एवं विवाद्यक संख्या 1 वादीगण अपीलांट के विरूद्ध निर्णित हुआ है। लिहाजा, दीगर विवाद्यक विवेचन व निर्णित किए जाने अपेक्षित नहीं हैं तथा अन्य विवाद्यक, विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय से आच्छादित है। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट वादीगण का वादपत्र खारिज करने में कानूनन कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित करने में निहायत असफल रहे हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2011 बअनवान हुकमसिंह बनाम गजरो वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ. [illegible] बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली